न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या- 11/2009

प्रभातराम पुत्र बक्साराम जाति जाट निवासी ग्राम भारनी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0)

---अपीलान्ट---

---बनाम---

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 20-8-2009 द्वारा अपर जिला कलेक्टर सीकर, एवं निर्णय दिनांक 3-10-2008 द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री अमरसिंह सूण्डा एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री पोकरमल चौधरी एडवोकेट- राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक- 14.3.2018

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर को रिपोर्ट की कि आराजी ख0नं0 776/1 कुल रकबा 32.20 हैक्टर में से 0.03 हैक्टर किस्म चारागाह पर सम्वत 2065 में मूंगफली की काश्त कर अतिक्रमण किया है । जिस पर तहसीलदार ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा-91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया ।गैरसायल को इस आराजी से सम्वत 2064 में भी अतिक्रमण करने पर दिनांक 23-3-2008 को मौके से बेदखल किया गया था ।गैर सायल को बार बार अतिक्रमण करने पर उक्त आराजी से बेदखल किये जाने, फसल को कुर्क किये जाने, लगान का 50 गुणा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... सीकर

अर्थ दण्ड एवं से तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने प्रथम अपील विद्वान अपर जिला कलेक्टर सीकर के यहाँ पेश की जिसे बाद सुनवाई खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अपीलान्ट का अतिक्रमण 0.03 हैक्टर भूमि पर माना गया है। अपीलान्ट की खातेदारी भूमि गोचर भूमि की सीमा के लगती हुई है । आवारा पशु जो गौचर भूमि चरते हैं उनका कृषि भूमि में प्रवेश कर कृषि उपज को नुकसान पहुचाने का खतरा सदैव बना रहता है। अपीलान्ट अपनी कृषि भूमि को आवारा पशुओं से बचाने के लिये कृषि भूमि व गोचर भूमि के बीच में डोल लगाकर पशुओं को रोकने का अवरोध बना रखा है । पटवारी हल्का ने राजनैतिक कारण से वास्तविक नाम नहीं लेकर दुर्भावना की वजह से मामूली अतिक्रमण 0.03 हैक्टर माना है। जबकि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि व गौचर भूमि के मध्य 40-50 मीटर की लम्बाई है। इतनी लम्बी दूरी में केवल 0.03 हैक्टर पर अतिक्रमण मानकर रिपोर्ट करना राजनैतिक द्वेषता की भावना से यह कार्यवाही किया जाना प्रकट होता है । अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है ।चारागाह भूमि की कभी भी सीमा ज्ञान नहीं की है। अपीलान्ट अपनी आराजी पर पूर्वजों के समय से काबिज काश्तकार चले आ रहे हैं ।अपीलान्ट ने अपनी सीमा को कभी भी गौचर भूमि की ओर नहीं बढाया है अदालत मातहत ने बिना तथ्यों की जांच किये अपना निर्णय पारित किया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत के निर्णय निरस्त किये जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन ...

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि उक्त गौचर भूमि के सींवा जोड होने से अपीलान्ट ने अपनी आराजी की भूमि की फसल को आवारा पशुओं के बचाने के लिये गौचर व खातेदारी भूमि के बीच में डोल बना रखी है कोई अतिक्रमण नहीं किया है ।पटवारी हल्का ने महज राजनैतिक द्वेषता के कारण यह रिपोर्ट अपीलान्ट के विरूद्ध पेश की है जिस पर अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

विद्वान वकील सरकारी पैरोंकार ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट बार बार गौचर भूमि पर अतिक्रमण करने का आदि है । अपीलान्ट को पूर्व में भी दिनांक 23-3-2008 को विवादित आराजी से ब0 बेदखल किया गया है । अपीलान्ट बार बार अतिक्रमण का आदि है । अदालत मातहत ने अपना निर्णय सभी तथ्यों पर गौर कर पारित किया है । अपीलांट की अपील खारिज की जावे

बहस बगौर समाहत की गई ।पत्रावली का अवलोकन करने पर आया पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अपीलान्ट को धारा-91 का नोटिस जारी किया गया जो अपीलान्ट पर असालतन तामिल होकर आया । अपीलान्ट को सरकार बनाम प्रभात मु0नं0 70/2008 में दिनांक 23-3-2008 को मौके से बेदखल किया गया है जाने का आदेश पारित किया जिसकी पालना में दिनांक 10-4-2008 को मौके सेअपीलान्ट को बेदखल किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट ने विवादित आराजी पर पुनः अतिक्रमण किया है ।अदालत मातहत ने पत्रावली पर समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद अपना निर्णय उचित एवं विधिक पारित है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान अपर जिला कलेक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 20-8-2009 एवं विद्वान तहसीलदार श्रीमाधोपुर का निर्णय दिनांक 3-10-2008 यथावत रखा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

या जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 14.3.2018 को सुनाया गया ।

(बंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर